तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

पृथ्वी

फेरवी

अपीलार्थी सं० 2 स्वयं एवं सं० 3 साक्षी की ओर से अभि० वकील [illegible]

15-7-2015 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर मे पेश हुई। अपीलार्थी पृथ्वी व रेस्पो० फरेबी उप० है। अपीलार्थी सं० 2 व 3 की ओर से इनके वकील श्री शिवचरण शर्मा उपस्थित है। उपस्थित पक्षकारो ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि रेस्पो० फरेबीलाल ने मूला का दत्तक पुत्र बनकर नामा० सं० 411 दि० 22-8-91 अपने नाम बाबत ख० नं० $\frac{2475}{0.47}$ ग्राम पीलोदा खुलवा लिया है। फरेबीलाल को मूला ने कभी गोद नही लिया है। इसलिए नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया जावे एवं मृतक मूला के विधिक वारिसो के नाम नामान्तरकरण खोला जावे। इसी अनुसार मुकदमे का निस्तारण कर दिया जावे।

प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। पक्षकारों को सुना गया। पक्षकारों ने राजीनामे के अनुसार मुकदमे का निर्णय करने का निवेदन किया है।

अतः राजीनामे के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं० 411 दि० 22-8-91 बाबत ख० नं० $\frac{2475}{0.47}$ ग्राम पीलोदा निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार वजीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे मृतक मूला के वारिसों को सुनकर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पक्षकारान दि० 10-8-2015 को तहसीलदार वजीरपुर के यहां उपस्थित होवे। तहसीलदार वजीरपुर को निर्णय की प्रति भेजी जावे।

(सतीश कुमार शर्मा) (मुनिदेव यादव)

अध्यक्ष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुरसिटी 25
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- गंगापुर सिटी

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 15-7-2015

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी

पृथ्वी वगैरा बनाम फरेबीलाल वगैरा

प्रकरण संख्या :- 12/2012 अन्तर्गत धारा अपील नामान्तरकरण

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री अपीलार्थी पृथ्वी पुत्र मूला .... उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा इस प्रकार हुआ है कि रेस्पोन्डेन्ट फरेबीलाल ने मूला का दत्तक पुत्र बनकर नामा० सं० 411 दि० 22-8-91 अपने नाम खं०नं० ...... रकबा 47 एयर ग्राम पीलोदा खुलवा लिया है। फरेबीलाल को मूला ने कभी गोद नहीं लिया है। इसलिए इस नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया जावे एवं मृतक मूला के विधिक वारिसों के नाम नामान्तरकरण खोला जावे। इसी अनुसार मुकदमे का निस्तारण कर दिया जावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तरदीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. पृथ्वी
2. अपीलार्थी सं० 2 हरजी एवं
3. अपीलार्थी सं० 3 धाऊजी की
ओर से जरिये वकील
4. [signature]

प्रतिवादी पक्ष 1. फरेबी
2. फरेबी पुत्र रामजीलाल मीना, पीलोदा
3. ....
4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर .... पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
(वादी पक्ष) नाम .... (प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

वादी / ~~प्रार्थी~~ अपीलार्थी पृथ्वी .... एवं अप्रार्थी / ~~प्रतिवादी~~ फरेबी .... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तरदीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(सतीश कुमार शर्मा)
ए5०
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

53